NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय महाप्रबंधक/विधि
गोरखपुर-273012

सं0-C/78/LO/Misc/HQ/2024

दिनांक 09.08.2024

1. विधि अधिकारी
   पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ/वाराणसी/इज्जतनगर
2. मुख्य विधि सहायक/निर्माण संगठन
   पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
3. समस्त मुख्य विधि सहायक/विधि कार्यालय
   पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय- निविदा संबंधी मामलों में विधिक विधीक्षा/विधिक राय दिए जाने के संबंध में

संदर्भ- उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/सिग एवं दूसं. का पत्रांक- Z/13/V9/2024/04/01951/Complaint/202, दिनांक 31.07.2024

इस रेलवे के किसी मंडल को पावर ऑफ अटार्नी की लीगल वेटिंग के लिए भेजी गई फाइल विधि अधिकारी को प्राप्त हुई। विधि अधिकारी ने उक्त फाइल को सीएलए-1 को मार्क कर दिया। सीएलए-1 ने उक्त संबंध में रिमार्क लिखा। विधि अधिकारी के हेड क्वार्टर से बाहर होने के कारण उक्त फाइल को सीएलए-1 द्वारा अपने स्तर से संबंधित विभाग को भेज दी गई। उक्त फाइल को विधि अधिकारी के स्तर से संबंधित विभाग को वापस नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त पावर ऑफ अटार्नी की लीगल वेटिंग के दौरान संबंधित सीएलए द्वारा रिमार्क दिया गया कि "Power of Attorney id examined along with board resolution and found that each and every pages of POA is not signed by both paties i.e. executant and holder and therefore same is not legally acceptable" एवं पब्लिक सेक्टर की कंपनी के पावर ऑफ अटार्नी को लीगली वैलिड नहीं माना गया।

सतर्कता विभाग के अनुसार इस प्रकार की कार्य प्रक्रिया/पद्धति अनियमित है तथा निम्न पद्धति सुधार की अनुशंसा की गई है-

1. लीगल वेटिंग (विधिक विधीक्षा) के लिए विधि कार्यालय को भेजी गई फाइल को लीगल वेटिंग के उपरांत विधि अधिकारी के स्तर से संबंधित विभाग को भेजी जाए जिससे सीएलए द्वारा दिए गए रिमार्क की जांच विधि अधिकारी द्वारा सुनिश्चित हो सके।

09/08/24

Signature Not Verified
Digitally signed by DHANANJAY MISHRA
Date: 2026.03.17 15:11:13 IST
Reason: IREPS-CRIS
Location: New Delhi

CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

2. पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने हेतु जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया जाये तथा उसी के अनुसार भविष्य में पावर ऑफ अटार्नी की लीगल वेटिंग किया जाए। पत्र के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने हेतु जरूरी दिशा-निर्देश संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

सतर्कता विभाग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि

05/03/24

(राहुल श्रीवास्तव)
वरि0 विधि अधिकारी

प्रतिलिपि- उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/सिग एवं दूसं. पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को सूचनार्थ

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-1

पावर ऑफ अटॉर्नी की जाँच करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

मुख्तारनामा (Power of Attorney) के विधिक विधिक्षा के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि मण्डल के विधि विभाग के मतों में भिन्नता है, जिससे प्रशासन के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके दृष्टिगत लागू नियमों एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सभी विधि अधिकारियों तथा मुख्य विधि सहायकों को निर्देशित किया जाता है कि मुख्तारनामा (Power of Attorney) की विधिक विधिक्षा करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे कि मामलों मे एकरूपता बनी रहे, और भविष्य में किसी भी प्रकार की विधिक जटिलता से बचा जा सके-

1. मुख्तारनामा (Power of Attorney), संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर जारी होना चाहिए।
2. मुख्तारनामा (Power of Attorney) को समुचित एवं प्राधिकृत निष्पादक/निष्पादकों द्वारा समुचित रूप से निष्पादित किया गया होना चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निष्पादक/निष्पादकों का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुख्तारनामा में निष्पादक/निष्पादकों द्वारा अनुसमर्थन खंड (RATIFICATION CLAUSE) अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. मुख्तारनामा (Power of Attorney) जिस व्यक्ति के पक्ष में दिया जा रहा है, उसका पूर्ण नाम, पता, हस्ताक्षर (स्वीकृति के साथ) समुचित स्थान पर होना चाहिए।
4. मुख्तारनामा (Power of Attorney) को दो साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया होना चाहिए तथा उक्त अभिलेख में दो साक्षियों का पूर्ण नाम, पता एवं हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
5. जीसीसी के प्रावधानों के अनुसार, जैसा आवश्यक हो, मुख्तारनामा (Power of Attorney) या तो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त पब्लिक नोटरी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ स्पष्टतः नोटराइज्ड किया गया होना चाहिए या प्रचलित पंजीकरण विधि/अधिनियम के अनुसार समुचित रूप से पंजीकृत होना चाहिए।
6. मुख्तारनामा (Power of Attorney) हेतु भागीदारी फर्म/ एकल स्वामित्व फर्म/ कंपनी/ पंजीकृत सोसाइटी/ पंजीकृत ट्रस्ट/ एलएलपी/ एचयूएफ इत्यादि (जैसी भी स्थिति हो) के सुसंगत तथा आवश्यक विधिक प्रपत्रों की समुचित जाँच आवश्यक है।
7. मुख्तारनामा (Power of Attorney) को जीसीसी के पैरा-15 (यथासंशोधित) के अनुरूप होना आवश्यक है।
8. यदपि कि उपर्युक्त दिशा-निर्देश विस्तृत रूप से जारी किए गए हैं फिर भी मुख्तारनामा (Power of Attorney) के संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार/रेलवे बोर्ड/रेलवे प्रशासन द्वारा जारी नियम/विनियम/दिशा-निर्देश का पालन किया जाना अपेक्षित है।

08/08/24

(राहुल श्रीवास्तव)
वरि0 विधि अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner